बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण,(प्रशिक्षण पक्ष) बिहार, पटना।

प्रेषक,

अपर सचिव,
श्रम संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

/प ट ना, दिनांक– – 2019

विषयः– श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मखदुमपुर, जहानाबाद में विद्युत कनेक्शन हेतु कुल राशि रू **3,38,624/-** (तीन लाख अड़तीस हजार छः सौ चौबीस रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपयुक्त विषय के संबंध मे कहना है कि श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत नवनिर्मित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मखदुमपुर, जहानाबाद में विद्युत कनेक्शन लगाने हेतु साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, औरंगाबाद द्वारा तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन प्रभारी प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मखदुमपुर, जहानाबाद के पत्रांक–206 दिनांक–03.12.2019 के द्वारा कुल राशि **3,38,624/-** (तीन लाख अड़तीस हजार छः सौ चौबीस रूपये) मात्र का प्राप्त हुआ है। विद्युत कार्यापालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, जहानाबाद से प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर वित्तीय वर्ष–2019–20 में कुल राशि **3,38,624/-** (तीन लाख अड़तीस हजार छः सौ चौबीस रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2–इस योजनान्तर्गत राशि की निकासी व्यय शीर्ष–2230–श्रम, रोजगार और कौशल विकास–03–प्रशिक्षण–003–शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण–0233–कौशल विकास मिशन मांग संख्या–26, विपत्र कोड–26–2230030030233 के विषय शीर्ष–0233.13.01 कार्यालय व्यय स्कीम से राशि **2,53,968/-** (दो लाख तिरपन हजार नौ सौ अडसठ रूपये) और व्यय शीर्ष–2230–श्रम, रोजगार और कौशल विकास–03–प्रशिक्षण –003–शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण–0333–कौशल विकास मिशन मांग संख्या–26, विपत्र कोड–26–2230030030333 के विषय शीर्ष–0333.13.01 कार्यालय व्यय स्कीम से शेष राशि **84,656/-** (चौरासी हजार छः सौ छप्पन रूपये) वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्रावधानित राशि से की जाएगी।

3–इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मखदुमपुर, जहानाबाद होंगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होगें।

4–इस राशि की निकासी जिला कोषागार, जहानाबाद की जायेगी।

5–प्रस्ताव में विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन एवं आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

Suryakant mani
उप सचिव, 20/2/2020
श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– टी–3/योजना(LWE)–08/2018...514.........../प ट ना, दिनांक–20/02/2020

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग(4 प्रतियों में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Suryakant mani
20/2/2020
उप सचिव,
श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– टी–3/योजना(LWE)–08/2018–.514................/प ट ना, दिनांक–20/02/2020

प्रतिलिपिः–आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया/जिला पदाधिकारी, जहानाबाद/जिला कोषागार पदाधिकारी, जहानाबाद/विद्युत कार्यापालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, जहानाबाद/प्रभारी प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मखदुमपुर, जहानाबाद/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/मासिक व्यय विवरणी शाखा/बजट शाखा/योजना शाखा/को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। साथ ही आई0 टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Suryakant mani
20/2/2020
उप सचिव,
श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना